**प्रेस विज्ञप्ति:**

**09/01/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने **अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले** में चल रही जांच के तहत 02.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 1 करोड़ रुपये की चल संपत्ति यानी नकदी और आभूषण जब्त किए गए। तलाशी कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने ठाणे पुलिस द्वारा जितेंद्र पांडेय और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उन पर फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जाल के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड की संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का धन प्रेषण करने का आरोप है। जितेन्द्र पांडे और अन्य आरोपियों को ईओडब्ल्यू, ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया।

ईडी की जांच में अब तक पता चला है कि आरोपियों ने 98 फर्जी साझेदारी फर्म और 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाईं और उनके नाम पर करीब 269 बैंक खाते खोले, ताकि उनके जरिए अवैध वित्तीय लेनदेन को अंजाम दिया जा सके। तलाशी अभियान में आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जो साझेदारी फर्मों के बैंक खातों में आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे, जो इन फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के जरिए होती थी, ताकि फंड की उत्पत्ति को छिपाया जा सके। इसके बाद, फंड को आखिरकार 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैंक खातों में डाल दिया गया, जो कथित तौर पर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के कारोबार में थीं और माल ढुलाई शुल्क की आड़ में विदेश भेज दी गईं। कंपनियों के निगमन और आरओसी फाइलिंग आदि सहित विनियामक अनुपालन, फॉर्म 15 सीए में आरोपियों की मदद करने वाले कई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका भी सामने आई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।